भाग – 4

# वित्त विभाग के महत्वपूर्ण शासनादेशों का संकलन

(1) अप्रैल, 2010 से मई, 2011 तक जारी

(2) राज्य गठन की तिथि 09 नवम्बर, 2000 से अब तक असंकलित शासनादेश

वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन

## प्रस्तावना

राज्य में वित्त विभाग के शासनादेशों/नियमावलियों के संकलन का चतुर्थ भाग प्रकाशित किया जा रहा है। यह संकलन संस्थागत जानकारी (Memory) को विकसित करने का प्रयास है। सचिवालय में अधिकारीगण बदलते रहते हैं तथा जनपदों से सचिवालय में आवागमन होता रहता है इसलिये यह आवश्यक है कि संकलन समय समय पर जारी होते रहें। वित्त विभाग के अप्रैल, 2010 से मई, 2011 तक जारी राज्य गठन की तिथि 09 नवम्बर, 2000 से तक छूटे हुए शासनादेशों को सम्मिलित किया गया है। संदर्भ की सुविधा के लिये इसे 21 भागों में विभाजित किया गया है जिसका उल्लेख विषय सूची में है। विषयों की निरन्तरता के उद्देश्य से कतिपय प्रशासनिक विभागों के शासनादेश भी सम्मिलित किये गये हैं।

**2.** इस संकलन को श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव वित्त के निर्देशन में श्री एन0एन0 थपलियाल, सलाहकार वित्त तथा श्री रमेश चन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव, वित्त, श्री देवेन्द्र पालीवाल, उप सचिव, वित्त तथा श्री मदन लाल, अनुभाग अधिकारी की टीम द्वारा परिश्रम से तैयार किया गया है, जो धन्यवाद के पात्र है।

**3.** आशा है कि यह संकलन राज्य के सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उपयोगी सिद्ध होगी।

सुझावों का स्वागत हैं।

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

देहरादूनः दिनांकः 29 अगस्त, 2011 ई0

# विषय–सूची


| क0सं0 | विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1. | व्यय वित्त समिति | 1–4 |
| 2. | कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण , सैन्टेज प्रभार, एम0ओ0यू0 | 5–14 |
| 3. | विभिन्न भत्ते, मकान किराया /कोयला/धुलाई/वर्दी/संतान/शिक्षा/परिवार कल्याण/अन्य भत्ते/पर्वतीय विकास भत्ता | 15–30 |
| 4. | अवकाश | 31–36 |
| 5. | पेंशन/सेवानिवृत्ति का लाभ | 37–68 |
| 6. | भविष्य निर्वाह निधि | 69–76 |
| 7. | वेतन पुर्नरीक्षण /संशोधन/उच्चीकरण/वेतन विसंगतियॉ | 77–192 |
| 8. | समयमान वेतनमान | 193–224 |
| 9. | यात्रा भत्ता | 225–238 |
| 10. | चिकित्सा प्रतिपूर्ति | 239–248 |
| 11. | मानदेय | 249–252 |
| 12. | महंगाई भत्ता | 253–270 |
| 13. | तदर्थ बोनस, विशेष वेतन, दैनिक वेतन भोगी की दरें | 271–280 |
| 14. | अधिप्राप्ति **Procurement Rules,** कन्सलटैन्सी कार्य | 281–308 |
| 15. | अधिकारों का प्रतिनिधायन | 309–364 |
| 16. | अंशदायी पेंशन | 365–398 |
| 17. | कोषागार प्रणाली | 399–432 |
| 18. | आय–व्ययक (बजट) | 433–484 |
| 19. | आडिट | 485–496 |
| 20. | डी0सी0एल0/सी0सी0एल0/बैंकों में जमा धनराशि/पी0एल0ए0 | 497–518 |
| 21. | विविध | 519–542 |

# व्यय वित्त समिति

## विषय सूची



| क0 सं0 | विषय | शासनादेश संख्या/दिनांक | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | केन्द्र पोषित योजनाओं को व्यय वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाना | सं0 450/xxvii(1)/2010, दिनांक 13 अगस्त, 2010 | 3 |

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग–1

संख्याः–450/xxvii(1)/2010

देहरादूनः दिनांकः–13अगस्त, 2010

**कार्यालय ज्ञाप**

**विषयः– केन्द्र पोषित योजनाओं को व्यय वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाना।**

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय ज्ञाप संख्याः–429/ xxvii(1)/2009, दिनांकः–22 जून, 2009 में यह व्यवस्था दी गई है कि ऐसी केन्द्र पोषित योजनायें जिनमें 50 प्रतिशत अथवा 50 प्रतिशत से अधिक धनराशि केन्द्रांश के रूप में प्राप्त हो रही हो तथा पदों का सृजन निहित न हों, व्यय वित्त समिति की परिधि में नहीं आयेगी।

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ऐसी केन्द्र पोषित अथवा बाह्य सहायतित योजनाओं/परियोजनाओं, जिनमें 50 प्रतिशत अथवा 50 प्रतिशत से अधिक धनराशि केन्द्र सहायता/केन्द्रांश के रूप में प्राप्त हो रही हो तथा जिनमें परियोजना/योजना पर कुल पूंजीगत व्यय का एक प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक राशि का आवर्तक व्यय (जिसे राज्य की संहत निधि से वहन किया जाना हो) निहित हो, को व्यय वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। तद्नुसार कार्यालय ज्ञाप संख्याः–498/xxvii(1)/2007, देहरादूनः दिनांकः–05 जून, 2007, कार्यालय ज्ञाप संख्याः–371/ xxvii(1)/2009, देहरादून, दिनांकः–20 मई, 2009 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्याः–429/ xxvii(1)/2009, दिनांकः–22 जून, 2009 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये तथा शेष शर्तें जो उक्त शासनादेशों में इंगित है, यथावत रहेंगी।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

**पत्र संख्याः–4500/xxvii(1)/2010, तद्दिनांकित।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्रीजी उत्तराखण्ड शासन।
2. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ प्रस्तुत।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव को अपर मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ प्रस्तुत।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, नियोजन/राज्य योजना आयोग प्रायोजन रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।